जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

ST No. 88 of 2020
Khagaria (Mahila) PS Case No. 46 of 2017
CIS No. 3050 of 2017)

राज्य (द्वारा रेणु देवी)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. रामबोल चौधरी,
   पिता– विरेन्द्र चौधरी
2. राहुल चौधरी,
   पिता– विरेन्द्र चौधरी
3. विरेन्द्र चौधरी,
   पिता– स्व0 बावन चौधरी
   साकिन– शिरोमणि टोला, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण

आरोपित धाराएँ 341/34, 323/34, 504/34, 506/34, 376 IPC

अभियोजन की ओर से – श्रीमती रंजना कुमारी
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री रविन्द्र प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 10वीं जुलाई 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त रामबोल चौधरी, राहुल चौधरी, विरेन्द्र चौधरी के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 IPC के अन्तर्गत एवं अभियुक्त रामबोल चौधरी के विरूद्ध अलग से धारा 376 IPC के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक रेणु देवी के फर्दबयान पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.10.2017 को हम घास लाने चकी बहियार 01.20 बजे

गयी। घास दूसरे के खेत के आड़ पर काटकर वापस 2 बजे दिन में घर आ रही थी। मेरे माथा पर घास का बोझा लेकर मैं विरेन्द्र चौधरी के बासा के निकट आयी तो वर्षा पड़ने लगा। मैं वर्षा के पानी से बचने के लिए बासा पर चली गयी। विरेन्द्र चौधरी का बेटा रामबोल चौधरी बासा पर पहले से मौजूद था वो मुझे पीछे से खींच लिया तथा टाट एवं चदरा के बने झोंपड़ी में ले गया तथा मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। हम हल्ला करना चाहती तो मेरा मुँह हाथ से बंद कर देता था। बलात्कार करने के बाद मुझे छोड़ा। तब मैं रोते हुए अपने घर आयी। घर में अपने परिवार के लोगों को घटना के बारे में बतायी। तब मेरे घर में मेरा पति, सास, देवर, गोतनी, विरेन्द्र चौधरी के घर पर परचारने गयी थी कि आपका बेटा मेरे साथ गलत काम क्यों किया। इसी बात पर विरेन्द्र चौधरी उसका बेटा रामबोल चौधरी, राहुल चौधरी मुझे तथा मेरे पति, सास, गोतनी, देवन को घर में बंद कर दिया तथा गाली–गलौज करते हुए लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किया तथा थूक चटवाया एवं पेशाब पिलाया तथा 08.00 बजे रात्री को हमलोगों को छोड़ दिया। धमकी दिया कि किसी को कुछ बात बताना नहीं, नहीं तो जान से मार देंगे।

संजय कुमार

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA

3. सूचक के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद का दौरा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ से यह अभिलेख इस न्यायालय में विचारण हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

म न त व य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या 01 डॉ0 मंजू कुमारी, अभियोजन साक्षी

संख्या 02 महेश साह, अभियोजन साक्षी संख्या 03 लक्ष्मी देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 कल्पना देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 05 पवन साह उर्फ कुमार रजनी रंजन, अभियोजन साक्षी संख्या 06 सुनीता देवी। इनमें से अभियोजन साक्षी संख्या 02 को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 05 एवं 06 को अभियोजन द्वारा टेण्डर घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 ने अपने मुख्य बयान में कही है कि कुछ भी घटना नहीं हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 04 ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 चिकित्सक साक्षी हैं तथा उन्होंने भी कथन किया है कि "It is difficult to say that rape has been committed or not"। बहरहाल, मामले में पीड़िता–सह–सूचिका का साक्ष्य नहीं कराया गया है। इस वाद में पीड़िता–सह–सूचिका ही एकमात्र घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तथा भुक्तभोगी है। ऐसे में उनका साक्ष्य इस वाद में कराया जाना अति आवश्यक था, जो अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

संजय कुमार II
DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त रामबोल चौधरी, राहुल चौधरी, विरेन्द्र चौधरी के विरूद्ध गठित धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 IPC के आरोपों एवं अभियुक्त रामबोल चौधरी के विरूद्ध अलग से गठित धारा 376 IPC के आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त रामबोल चौधरी, राहुल चौधरी, विरेन्द्र चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता

है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

(संजय कुमार–।।)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
10.07.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★

(संजय कुमार–।।)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
10.07.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★